भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2715
दिनांक 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर धोखाधड़ी के मामले

†2715. श्री ए राजा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में जागरूकता, साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहित साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) साइबर धोखाधड़ी के मामलों में कोई धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ग) क्या सरकार वसूली प्रक्रिया में राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करती है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान साइबर धोखाधड़ी के मामलों और वसूली प्रयासों, जिनमें प्राप्त धनराशि और सफलता दर शामिल हैं, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्रों (आईसी4) की स्थापना के बाद देशभर में साइबर अपराधों में कमी आई है या वृद्धि हुई है; और

(च) एआई सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से इन अपराधों के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए की गई किसी समीक्षा का ब्यौरा क्या है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (च) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2715, दिनांक 05.08.2025

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी, इसकी वसूली/सफलता दर समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. अभी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,63,348 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

vi. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के 24,600 से अधिक कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

vii. आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

viii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 12,460 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ix. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,05,796 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 82,704 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

x. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी

अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 12,987 आरोपियों की गिरफ्तारी, 1,51,984 लिंकेज और 70,584 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xi. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

xii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं: -

1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के एपिसोड के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
3) कॉलर ट्यून अभियान: आई4सी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए, जिनमें विभिन्न कार्यप्रणालियां, जैसे डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाला, मैलवेयर, फर्जी लोन ऐप, फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन, आदि शामिल थे।
4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान और दिनांक 27.10.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में राहगिरी समारोह में भागीदारी शामिल है।

5) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

xiii. गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा खतरों, साइबर जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग और इसी तरह की चिंताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से दिनांक 22.01.2025 को MAC (मल्टी एजेंसी सेंटर) प्लेटफॉर्म के अंतर्गत CyMAC (साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर) का गठन किया है।

xiv. इंडियाएआई के साथ साझेदारी में, आई4सी ने साइबर अपराध की घटनाओं के स्वचालित वर्गीकरण के लिए एक एआई-संचालित प्रणाली विकसित करने के लिए इंडियाएआई साइबर गार्ड एआई हैकाथॉन लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना है।

xv. केंद्र सरकार ने एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग नामों से लिए गए संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने के लिए एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा एनालिटिक टूल ASTR विकसित किया है। पुनःसत्यापन प्रक्रिया में असफल होने के कारण, अब तक 82 लाख से अधिक ऐसे कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं।

अनुलग्नक

लोक सभा अता. प्र.सं. 2715, दिनांक 05.08.2025

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	764	952	984
2	अरुणाचल प्रदेश	3	2	0
3	असम	58	82	16
4	बिहार	1294	1373	1441
5	छत्तीसगढ़	71	67	42
6	गोवा	1	1	11
7	गुजरात	205	208	108
8	हरियाणा	36	52	44
9	हिमाचल प्रदेश	1	6	9
10	झारखंड	83	79	98
11	कर्नाटक	0	6	0
12	केरल	6	16	26
13	मध्य प्रदेश	69	89	180
14	महाराष्ट्र	2032	1678	2202
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	10	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	1079	1205	957
20	पंजाब	16	29	61
21	राजस्थान	332	371	292
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	5	107	251
24	तेलंगाना	3316	7003	9581
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	837	614	766
27	उत्तराखण्ड	1	0	31
28	पश्चिम बंगाल	145	40	30
	कुल राज्य	**10364**	**13980**	**17130**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	2
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
32	दिल्ली	31	19	331
33	जम्मू और कश्मीर	0	8	7
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**31**	**27**	**340**
	कुल (अखिल भारत)	**10395**	**14007**	**17470**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

******